अनुस्मारक-1

संख्या-07/2022/681/सैंतालीस-का-1-2022-13(1)/2022

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 13 जुलाई, 2022**

विषय:- पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु चयन की कार्यवाही दिनांक 30 सितम्बर, 2022 तक संपन्न कराया जाना ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-1 के पत्र संख्या-3/2022/235/का-1-2022-13(1)/2022, दिनांक 20 अप्रैल, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से निम्नांकित दिशा निर्देश प्रसारित किये गये थे:-

2.1 चयन वर्ष 2022-23 (01 जुलाई से 30 जून तक) की पदोन्नति से भरी जाने वाली समस्त रिक्तियों की गणना कर ली जाय।

2.2 विभागाध्यक्ष एवं विभागध्यक्ष से ठीक एक पंक्ति नीचे के ऐसे पदों, जिन्हें मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करके कार्मिक विभाग के माध्यम से भरा जाना है, हेतु कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-4/2019/13(2)2007/का-1-2019, दिनांक 27-09-2019 सपठित शासनादेश संख्या-5/2019/13(2)2007/का-1-2019, दिनांक 04-10-2019 में विहित प्रक्रिया/प्रारूप पर चयन का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को विलम्बतम 31 जुलाई, 2022 तक अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये। अन्यथा की स्थिति में, विलम्ब से प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर संबंधित विभाग के यथा स्थिति अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा विलम्ब के कारणों को स्पष्ट किया जाय।

2.3 ऐसे पदों जिनके सापेक्ष शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करके चयन की कार्यवाही की जाती है, उन्हें दिनांक 30 सितम्बर, 2022 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

2.4 ऐसे पदों जिन पर विभागाध्यक्ष/अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा चयन की कार्यवाही की जाती है, उन्हें भी अभियानबद्ध तरीके से दिनांक 30 सितम्बर, 2022 तक पूर्ण कर लिया जाय।

3- उपर्युक्त के क्रम में, पुन: अनुरोध है कि चयन वर्ष 2022-23 के 01 जुलाई 2022 से आरम्भ हो जाने के दृष्टिगत कृपया पूर्व निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित करने तथा नियमित अनुश्रवण भी करने का कष्ट करें। समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित न होने की दशा में संबंधित उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध उनके नियंत्रक अधिकारी के स्तर से कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव ।

संख्या- 07/2022/681(1) /सैतालीस-का-1-2022-13(1)/2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
3. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिंह
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in